प्र.पी.-305

D-225

कार्यालय पुलिस अधीक्षक,एन्टी करप्शन ब्यूरो,रायपुर छ0ग0

कमांक–पु.अ./एसीबी/एसकेएस/(अप.क.09/2015)/1957/ दिनांक 21.03.2015

प्रति,

पुलिस अधीक्षक,
एन्टी करप्शन ब्यूरो,
रायपुर (छ0ग0)

विषय :-- ब्यूरो के अपराध कमांक– 09/2015, धारा– 13 (1)डी, 13 (2) पीसीएक्ट 1988 एवं सहपठित धारा 109 120 (बी) भादंवि. में अंश विवेचना पश्चात्, प्रतिवेदन विषयक ।

सन्दर्भ :-- अंश विवेचना हेतु आपका आदेश दिनॉक 17.3.2015 ।

--000--

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि विषयांकित अपराध की अंश विवेचना हेतु आपके संदर्भित आदेश के अनुपालन में मेरे द्वारा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री मनोज कुमार खिलारी के मार्गदर्शन मे विवेचना कार्य किया गया । विवेचना के दौरान निम्न कार्यवाहियॉ मेरे द्वारा सम्पादित की गई ।

(1) छत्तीसगढ राज्य भण्डार गृह निगम, गुढियारी, रायपुर पहुॅच कर नागरिक आपूर्ति निगम एवं भण्डार गृह निगम के दस्तावेज मुताबिक संलग्न जप्ती पत्रक दिनॉक 17.3.2015 जप्त किया गया ।

(2) दिनॉक 19.3.2015 को आहूत किये गये नागरिक आपूर्ति निगम के अधिकारी क्रमशः श्री जे0पी0द्विवेदी, प्रभारी जिला प्रबंधक, बलौदाबाजार एवं श्री अमृतांशु शुक्ला, भाटापारा के कथन दर्ज किये गये एवं मूल दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु नोटिस जारी किया गया ।

(3) दिनॉक 20.3.2015 को उपस्थित अधिकारी श्री अमृतांशु शुक्ला से मुताबिक जप्ती पत्रक दस्तावेज जप्त किये गये । साथ ही केन्द्रीय भण्डार गृह निगम भाटापारा क्र.1, के कर्मचारी श्री के0के0राठी से मुताबिक जप्ती पत्रक दस्तावेज जप्त करने की कार्यवाही किया गया ।

उपरोक्त अंश विवेचना की कार्यवाही में जप्त दस्तावेजों तथा पूर्व में प्रकरण के मुख्य विवेचक श्री एस0डी0देवस्थले, निरीक्षक द्वारा जप्त अन्य संबंधित दस्तावेजों के अध्ययन से निम्न तथ्य प्रकट होते है --

(1) राज्य में अमृत नमक प्रदाय हेतु टेन्डर कार्यवाही नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा ई–निविदा दिनॉक 13.12.2013 द्वारा मंगाया गया । इस प्रक्रिया में रायपुर, दुर्ग एवं बस्तर संभाग हेतु पृथक से निविदा कार्यवाही तथा बिलासपुर–सरगुजा संभाग हेतु पृथक से निविदा कार्यवाही किया गया। रायपुर–दुर्ग–बस्तर संभाग हेतु निविदा कार्यवाही में न्यूनतम् दर प्रस्तुत करने वाले सूरज आयोडाइस्ड कंपनी, पातडी, गुजरात की निविदा स्वीकृत कर उसे अमृत नमक प्रदाय करने हेतु कार्यादेश छत्तीसगढ नागरिक आपूर्ति निगम मुख्यालय रायपुर के आदेश क्र/साविप्र/नमक/2013-14/1813/ रायपुर दिनॉक 15.1.2014 के माध्यम से जारी किया गया । इसके पूर्व अनुबंध पत्र दिनॉक 10.1.2013 को तैयार किया गया है ।

सत्यापित प्रति

(एस.डी.देवस्थले)
निरीक्षक ... / ए.सी...
... (छ.ग.)

(2) उपरोक्त स्वीकृत निविदा के तारतम्य में ही नागरिक आपूर्ति निगम मुख्यालय से पत्र क्रमांक/एनओआईटी/नमक रेक/2014-15/82 रायपुर दिनॉक 5.5.2014 को मेसर्स सूरज आयोडाइज्ड कंपनी, पातडी, गुजरात को प्रेषित कर भाटापारा रेक पाइंट हेतु क्रमशः बेमेतरा जिला हेतु 450 टन कवर्धा जिला हेतु 100 टन, भाटापारा जिला हेतु 1500 टन, महासमुंद हेतु 100 टन तथा रायपुर हेतु 450 टन कुल 2600 टन अमृत नमक प्रदाय करने का आदेश जारी किया गया । जिसका नेट परिवहन आदेश एसए 0520140002 दिनॉक 5.5.2014 है। इसी तरह मुख्यालय के आदेश क्र/सविप्र/नमक रेक/2013-14/54 रायपुर दिनॉक 28.4.2014 द्वारा रेक पाइंट राजनांदगांव हेतु 2600 टन एवं रेक पाइंट रायपुर हेतु विभिन्न जिलों क्रमशः रायपुर 350 टन, गरियाबंद 400 टन, महासमुंद 500 टन, धमतरी 400 टन, बीजापुर 100 टन, सुकमा 100 टन, कोण्डागांव 150 टन एवं कवर्धा 400 टन कुल 2400 टन अमृत नमक प्रदाय का आदेश जारी किया गया।

(3) उपरोक्तानुसार जारी आदेश के तारतम्य में मेसर्स सूरज आयोडाइज्ड कंपनी द्वारा रायपुर रेक पांईट पर दिनांक 06.05.2014 को रेक लाया गया। जिसमें 2400 टन, अमृत नमक लाया गया इसी प्रकार दिनांक 07.05.2014 को भाटापारा रेक पाइंट पर 2600 टन अमृत नमक लाया गया। रायपुर रेक पाइंट से गुढियारी स्थित छ.ग.राज्य भण्डार गृह निगम गुढियारी रायपुर को दिनांक 08.05.2014 को भेजे गये 960 बोरा अमृत नमक के वजन मे कमी आने पर उपस्थित सहायक प्रबंधक नागरिक आपूर्ति निगम श्री संतोष अग्रवाल एवं भण्डार गृह निगम के शाखा प्रबंधक श्री एस.के राघव के द्वारा पंचनामा तैयार किया गया। साथ ही एक-एक किलो के दस पैकेट तौल कर देखे गये सभी का वजन एक किलो से कम आया इसी तरह पचास किलो की बोरियों मे से पचास बोरे तौल कर देखे गये जिसमें भी वजन पचास किलो के स्थान पर अधिकांश बोरो मे कम आया। जिसका पंचनामा तैयार किया गया है। इस तथ्य की सूचना नागरिक आपूर्ति निगम के जिला प्रबंधक जिला रायपुर द्वारा अपने पत्र कमांक/नमक/2014-15/247 रायपुर दिनांक 08.05.2014 द्वारा प्रभारी अधिकारी (नमक), नागरिक आपूर्ति निगम मुख्यालय रायपुर को प्रेषित किया। इस पत्र के माध्यम से यह तथ्य प्रकट हुआ है कि रेक मे प्रदाय किया गया नमक के एक-एक किलो के पैकेट का वजन एक किलो से कम है, इस सूचना पर प्रबंधक नमक द्वारा अपने पत्र कमांक/एन.ओ.आई.टी./नमक पत्राचार/2014 /105-ए रायपुर दिनांक 09.05.2014 द्वारा भाटापारा रेक पाईट से संबंधित जिलो के जिला प्रबंधको को तथा अपने पत्र कमांक/एन.ओ.आई.टी/नमक पत्राचार/2014/104 रायपुर दिनांक 09.05.2014 द्वारा रायपुर रेक पाईट से संबंधित जिलो के जिला प्रबंधको को सूचित किया गया कि उक्त रेक मे प्रदाय नमक मे प्रति पैकेट वजन , पैकेट के मानक वजन एक किलोग्राम से कम है अतः इसका भण्डारण न करते हुए प्रदाय कर्ता को वापस कर मुख्यालय को अवगत कराया जावें। इस तथ्य का उल्लेख नोट शीट पर दिनांक 09.05.2014 को नमक अधिकारी द्वारा लिया गया है एवं तत्कालीन एम.डी. श्री उमेश अग्रवाल से अनुमोदन प्राप्त किया गया है। जिसमें लेख है कि अमृत नमक के एक किलो के पैकेट मे प्रति पैकेट सौ ग्राम से लेकर दो सौ ग्राम तक वजन कम पाया गया है। नोट शीट के अग्रिम पृष्ठो पर जिला प्रबंधक रायपुर महासमुंद एवं बलौदाबाजार के द्वारा भी उपरोक्तानुसार कम वजन के पैकेट भेजने की जानकारी प्राप्त होना नोडल अधिकारी आई.टी द्वारा उल्लेख करते हुए इस अमानक प्रदाय को वापस उठाव करने हेतु प्रदाय कर्ता को पत्र प्रेषित किये जाने का प्रस्ताव तत्कालीन प्रबंध संचालक श्री उमेश अग्रवाल के समक्ष प्रस्तुत कर अनुमोदन दिनांक 12.05.2014 को प्राप्त किया है। पश्चात इसके पालन मे मुख्यालय द्वारा पत्र कमांक एन.ओ.आई.टी./नमक रेक /2014-15/112 रायपुर दिनांक 13.05.2014 प्रदाय कर्ता को जारी

सत्यापित प्रति

(एस.डी.देवस्थले)
इ.ओ.डब्ल्यू / ए
रायपुर (छ.ग.)

किया गया है जिसमे उल्लेख है कि रायपुर रेक एवं भाटापारा रेक को प्रदाय किये गये अमृत नमक के एक किलो के पैकेट का वजन एक किलो से कम है अतः इस अमानक अमृत नमक को सात दिवस के अन्दर वापस उठाव कर मुख्यालय को अवगत करावें। इस पत्र के सन्दर्भ मे प्रदाय कर्ता के स्थानीय प्रतिनिधी मुनीश कुमार शाह द्वारा दिनांक 13.05.2014 का लेख किया गया पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसमें उसके द्वारा वास्तविक वजन के आधार पर भुगतान किये जाने का निवेदन किया गया है एवं लेख किया गया है कि जिन बोरियों मे नमक पैकेट कम वजन के है ऐसे बोरो का सेग्रीगेशन कर वापस लेने को सहमत हूं। इस पत्र प्राप्ति का हवाला देते हुए, दिनांक 15.05.2014 को प्रदायकर्ता फर्म को चर्चा हेतु दिनांक 20.05.2014 को आहूत करने संबंधी पत्र जारी करने की सूचना प्रबंधक नमक द्वारा नोटशीट पर तत्कालीन प्रबंधक नमक श्री सी.एम. चन्द्राकर ने दिनांक 19.05.2014 को अंकित किया है जिसका अनुमोदन तत्कालीन प्रबंध संचालक श्री उमेश अग्रवाल द्वारा किया गया है । पश्चात पत्र कमांक एन.ओ.आई.टी./नमक/2014/120 रायपुर दिनांक 15.05.2014 जारी किया गया है। इस पत्र के सन्दर्भ मे दिनांक 20.05.2014 को प्रदाय कर्ता का स्थानीय प्रतिनिधी श्री मुनीश कुमार शाह ने तत्कालीन प्रबंध सचालक श्री उमेश अग्रवाल के समक्ष उपस्थित होकर पुनः प्रस्ताव देने हेतु समय मांगा है जिसे प्रबंध संचालक ने स्वीकार किया है। यह नोटशीट पर दिनांक 20.05.2014 पर अंकित है। उक्त दिनांक को ही प्रतिनिधी मुनीश कुमार शाह द्वारा प्रबंध संचालक को लिखित पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमे लेख किया गया है कि आपके कक्ष मे हुई चर्चा अनुसार रेको मे प्राप्त नमक का सेग्रीगेशन कराकर जो पैकेट एक किलो ग्राम से कम वजन के है ऐसे पैकेट हम वापस लेने को तैयार है तथा इसके स्थान पर सही वजन का नमक देने के लिये सहमत है। पुनः इस पत्र के सन्दर्भ मे नोट शीट पर प्रबंध संचालक से दिनांक 22.05.2014 को अनुमोदन प्राप्त कर प्रदाय कर्ता फर्म को मुख्यालय का पत्र कमांक एन.ओ.आई.टी/नमक/2014/145 रायपुर दिनांक 22.05.2014 जारी किया गया है। जिसमें उन्हे 23.05.2014 को पुनः चर्चा हेतु आहूत किया गया। चर्चा उपरांत फर्म के स्थानीय प्रतिनिधी मुनीश कुमार शाह ने एक लिखित पत्र दिनांक 23.05.2014 प्रस्तुत किया है जिसमें उसके द्वारा रायपुर एवं भाटापारा रेक से प्रेषित पचास किलो ग्राम से कम वजन के बोरो तथा एक-एक किलो से कम वजन के पैकेट को सेग्रीगेशन कराकर अपने हर्जे-खर्चे पर छांटकर उठाने एवं सही वजन के बोरे एवं पैकेट प्रदाय करने हेतु सहमत होना लेख किया गया है। इस सम्पूर्ण तथ्यों का उल्लेख नोटशीट पर दिनांक 27.05.2014 को किया गया है जिसमें लेख है कि प्रबंधक नमक एवं लेखा अधिकारी परिवहन नें प्रदाय कर्ता के प्रतिनिधी मुनीश कुमार शाह से दिनांक 23.05.2014 को चर्चा किया उनके द्वारा प्रस्तुत पत्र दिनांक 23.05.2014 को सन्दर्भ लेते हुए छह बिन्दुओं का प्रस्ताव प्रबंध संचालक के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। जिसमें वापस उठाव के आदेश पर पुर्नविचार किया जाना एक-एक किलो के मानक वजन के अनुसार सेग्रीगेशन क्रिया जाना, विलंब हेतु अनुबंध के नियमानुसार पेनाल्टी किया जाना, भण्डारण-परिवहन शुल्क एवं अन्य खर्चे वसूल किया जाना आदि शर्तो को मान्य करने पर पुर्नविचार किये जाने का प्रस्ताव प्रबंध संचालक श्री उमेश अग्रवाल के समक्ष किया गया है जिसे उनके द्वारा स्वीकार किया गया है। तत्संबंधी मुख्यालयीन पत्र क्रमांक एन.ओ.आई.टी./नमक/2014/177 रायपुर, दिनांक 28.05.2014 प्रदायकर्ता को प्रबंधक नमक के द्वारा जारी किया गया है। इसके संबध मे मेसर्स सूरज आयोडाईज कंपनी द्वारा दिनांक 26.05.2014 को अपने अधिवक्ता श्री बी.पी.शर्मा के माध्यम से नागरिक आपूर्ति निगम को नोटिस जारी किये जाने की सूचना नागरिक आपूर्ति निगम के कंपनी सचिव द्वारा अपने पत्र क्रमांक-/कं.स./2014-15/160 रायपुर दिनांक 29.

सत्यापित प्रति

(एस.डी.देवस्थले)
निरीक्षक इ.ओ.डब्ल्यू / ए.सी.
रायपुर (छ.ग.)

05.2014 द्वारा नोडल अधिकारी (आई.टी./अमृत नमक) को भेजा है। पश्चात यह तथ्य नोटशीट पर दिनांक 30.05.2014 को प्रबंधक नमक द्वारा लिया गया है। पुनः दिनांक 02.06.2014 को प्रबंधक नमक ने नोटशीट पर मुख्यालय के पत्र क्रमांक/एन. ओ.आई.टी./नमक /177 दिनांक 28.05.2014 मे सेग्रीगेशन के शर्तो के सहमति संबंधी पत्र का हवाला देते हुए एक किलो ग्राम से कम वजन के पैकेट का सेग्रीगेशन कर प्रदाय कर्ता के हर्जे खर्जे पर वापस उठाव करने का निर्देश जारी किया जाना एवं इस सेग्रीगेशन कार्य हेतु समिति का गठन करने-जिसमे प्रथम सदस्य नागरिक आपूर्ति निगम का प्रतिनिधी, द्वितीय सदस्य के रूप मे राज्य भण्डार गृह निगम का शाखा प्रबंधक एवं तृतीय सदस्य के रूप मे प्रदायकर्ता का प्रतिनिधी इस तरह तीन सदस्यीय सेग्रीगेशन कमेटी बनाकर सेग्रीगेशन करने का निर्णय लिये जाने संबंधी प्रस्ताव रखा गया है। जिसे तत्कालीन प्रबंध संचालक श्री अनिल टुटेजा ने स्वीकृति प्राप्त किया है। इस संबंध मे मुख्यालय का पत्र क्रमांक/एन.ओ.आई.टी. /साल्ट/2014-15/204 रायपुर दिनांक 04.06.2014 प्रदायकर्ता मेसर्स सूरज आयोडाईस्ड कंपनी को संबोधित है एवं पत्र की प्रतिलिपी सभी संबंधित जिला प्रबंधकगण छ.ग. नागरिक आपूर्ति निगम को प्रेषित किया गया है। पत्र तत्कालीन प्रबंध संचालक श्री अनिल टुटेजा के हस्ताक्षर से जारी किया गया है। पुनः जिला प्रबंधको नागरिक आपूर्ति निगम को संबोधित करते हुए एक स्मरण पत्र मुख्यालय से प्रबंध संचालक श्री अनिल टुटेजा के हस्ताक्षर से जारी किया गया है, जो पत्र क्रमांक/एन.ओ.आई.टी./अमृत नमक/2014-15/264 रायपुर दिनांक 18.06.2014 है।

निगम के संचालक मण्डल की छत्तीसवीं बैठक दिनांक 15.05.2014 मे भी एक किलो ग्राम से कम वजन के अमानक अमृत नमक के पैकेट प्राप्त होना एवं इस संबंध मे निविदा शर्तो का परीक्षण कर तदनुसार उचित कार्यवाही किये जाने एवं उपभोक्ताओं को निर्धारित वजन एवं गुणवत्ता का अमृत नमक उपलब्ध कराना सुनिश्चत करने का निर्णय लिया गया है। जिसमे संचालक मण्डल के मुख्य सदस्य के रूप मे तत्कालीन अध्यक्ष छ.ग. नागरिक आपूर्ति निगम श्री विकास शील एवं तत्कालीन प्रबंध संचालक नागरिक आपूर्ति निगम श्री उमेश अग्रवाल के हस्ताक्षर है।

(4) उपरोक्त बिन्दु क्रमांक 3 मे वर्णित नोटशीट मे मूलतः एक किलो वजन से कम वजन के अमृत नमक के पैकेट पाये जाने के कारण इस अमानक नमक के भाटापारा एवं रायपुर मे प्राप्त रेक को वापस उठाव करने का निर्णय लिया गया था । किन्तु बाद मे प्रदायकर्ता के प्रति अप्रत्याशित सहानुभुति दर्शातें हुए एक किलो ग्राम वजन से कम वजन के अमृत नमक के पैकेटों का सेग्रीगेशन कर वापस उठाव करने का निर्णय लिया गया पश्चात जारी पत्र मे इससे इतर जाकर पचास किलो ग्राम से कम वजन की बोरी के सेग्रीगेशन का आदेश जारी किया गया है। यह तथ्य निश्चित ही प्रदायकर्ता और नागरिक आपूर्ति निगम के अधिकारियों के बीच साठ-गांठ को प्रदर्शित करता है। चूंकि संचालक मण्डल की बैठक एवं नोटशीट पर सदैव ही एक किलो ग्राम से कम वजन के पैकेटों का सेग्रीगेशन किया जाना उचित माना गया है। जबकि पत्र मे पचास किलो ग्राम से कम वजन के बोरियों का सेग्रीगेशन किये जाने का आदेश जारी किया गया।

(5) रायपुर रेक मे प्राप्त 2400 टन अमृत नमक जिसका सप्लाई आदेश क्रमांक/एस. ए 0420140004-पी.डी.एस./साल्ट/14-15/54-ए दिनांक 28.04.2014 है का भुगतान दिनांक 23.06.2014 मे वर्णित प्रति प्रदाय केन्द्र प्राप्ति मात्रा का अवलोकन करने पर यह स्पष्ट दिखाई देता है कि सेग्रीगेशन का कार्य किया ही नही गया है

सत्यापित प्रति
(एस.डी.देवस्थले)
निरीक्षक इ.ओ.डब्ल्यू / ए.सी.बी.
रायपुर (छ.ग.)

एवं बिना सेग्रीगेशन कियें इस अमानक अमृत नमक को विभिन्न प्रदाय केन्द्रों मे वितरित कर दिया गया है। जहां एक ओर दिनांक 18.06.2014 को सेग्रीगेशन किये जाने का आदेश जारी किया गया है वहीं इस आदेश के पालन की प्रतीक्षा किये बगैर इस रेक पाईंट पर प्राप्त अमृत नमक के बिलो का आहरण दिनांक 23.06.2014 को एवं भुगतान दिनांक 24.06.2014 को कर दिया गया है। बिलों के अवलोकन पर भी यह स्पष्ट होता है कि सेग्रीगेशन कार्य नही किया गया है क्योंकि 350 बोरे का वजन 175 क्विंटल होने के स्थान पर मात्र 168.85 क्विंटल आया है। इसी प्रकार 610 बोरे का वजन 305 क्विंटल के स्थान पर 284.22 क्विंटल आया है। इसी प्रकार बिल मे 01 से लेकर 73 ट्रको पर परिवहन दर्शाया गया है एवं अधिकांश मे वजन की स्थिति उपरोक्तानुसार ही है । इससे स्पष्ट है कि 50 किलो के बोरे को मानक मान कर भी सेग्रीगेशन का कार्य नही किया गया, जबकि मूलतः 1 किलो वजन से कम वजन के पैकेट का सेग्रीगेशन किया जाना था।

(6) इसी प्रकार भाटापारा रेक मे प्राप्त 2700 टन अमृत नमक जिसका प्रदाय आदेश क्र0 एस.ए.0520140002/एन.ओ.आई.टी/नमक रेक /2014--15/82 दिनांक 05.05.2014 है। के बिल के अवलोकन पर भी उपरोक्तानुसार स्थिति स्पष्ट है इसमे 01 से लेकर 140 ट्रको द्वारा प्रदाय परिवहन किया जाना उल्लेखित है एवं अधिकांश मे बोरो की संख्या के सन्दर्भ मे वजन मे उपरोक्तानुसार ही भिन्नता है जो स्पष्ट करती है कि सेग्रीगेशन का कार्य नही किया गया है। इस बिल को भी दिनांक 02.07.2014 को आहरित एवं भुगतान कर दिया गया है।

(7) भाटापारा रेक के सन्दर्भ मे नागरिक आपूर्ति निगम केन्द्र भाटापारा के केन्द्र प्रभारी श्री अमृतांशु शुक्ला से जप्त दस्तावेज एवं उनके कथन से भी यह तथ्य स्पष्ट है कि भाटापारा रेक मे से प्राप्त 44,432 बोरे नमक जो इस केन्द्र के माध्यम से भाटापारा स्थित केन्द्रीय भण्डार गृह निगम मे भण्डारित कराये गये थे, का सेग्रीगेशन कार्य नही किया गया है। यह मात्रा कुल प्रदाय मात्रा 2600 टन के विरूद्ध 2,222 टन होती है इससे स्पष्ट है कि भाटापारा एवं रायपुर रेक मे प्राप्त इस अमानक अमृत नमक का सेग्रीगेशन कार्य किया ही नही गया और प्रदायकर्ता को अनुंबध शर्तो के विरूद्ध इस अमानक नमक का भुगतान कर दिया गया। जो प्रदायकर्ता और नागरिक आपूर्ति निगम के अधिकारियों के सांठ–गांठ एवं भ्रष्टाचार को प्रमाणित करता है।

<u>संलग्न</u> :--

1. वेयर हाउस गुढियारी शाखा रायपुर के श्री कमल सिंह से जप्त दस्तावेज, मुताबिक जप्ती ।
2. नागरिक आपूर्ति निगम शाखा गुढियारी रायपुर (वेयर हाउस गुढियारी शाखा रायपुर) के बलराम साहू से जप्त दस्तावेज मुताबिक जप्ती पत्रक ।
3. कथन– श्री अमृतांशु शुक्ला एवं श्री जे.पी. द्विवेदी कुल पृष्ठ 1 से 8 है।
4. श्री अमृतांशु शुक्ला से जप्त दस्तावेज मुताबिक जप्ती पत्रक।
5. श्री के0के0राठी से जप्त दस्तावेज मुताबिक जप्ती पत्रक।
6. साक्षियों को आहूत किये जाने संबंधी जारी पत्र कुल पृ 01 से 5 तक ।

(एस.के.सेन)
निरीक्षक,
एन्टी करप्शन ब्यूरो,
रायपुर छ.ग.

सत्यापित प्रति

(एस.डी.देवस्थले)
निरीक्षक इ.ओ.डब्ल्यू / ए.सी.बी.
रायपुर (छ.ग.)